12

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

कमांकः राम/भू.अ./एल.आर.सी./प–101/2006/15252–283 दिनांक 3/11/6

जिला कलेक्टर (भू.अ.),
समस्त, राजस्थान ।

विषय :– एल.आर.सी. योजना की सतत् कियान्विति एवं मोनिटरिंग बाबत ।

महोदय,

विषयान्तर्गत, दिनांक 17.10.06 को एल.आर.सी. योजना की कियान्विति में आ रही कठिनाईयों इसके निवारण हेतु मण्डल स्तर पर बैठक आयोजित की गई है । बैठक में यह ध्यान में लाया गया कि कतिपय नोडल अधिकारियों द्वारा इसकी सतत् मोनेटरिंग नहीं की जा रही है म्यूटेशनों का यथा समय कम्प्यूटर पर फीड नहीं कराया जा रहा है, साईबर कैफे धारकों से प्राप्त नकलों को संबंधित पटवारियों द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा रहा है । अतः निर्देशानुसार निवेदन है कि इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावें :–

1 मण्डल द्वारा आपके जिले में साईबर कैफे के माध्यम से जमाबन्दियों की नकले दिये जाने हेतु लाईसेन्स दिये गये है । लाईसेन्स धारकों द्वारा जमाबन्दियों की प्रतियां आवेदको को जारी की जा रही है, यदि कोई आवेदक इसको प्रमाणीकरण हेतु पटवारियों के पास जाता हे तो पटवारी द्वारा आना–कानी की जाती है जो उचित नहीं है । अतः पटवारियों को पाबन्द किया जावें कि यदि कोई आवेदक साईबर कैफे से प्राप्त जमाबन्दी की प्रति उसके पास प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करता है तो वह निर्धारित शुल्क लेकर उसे प्रमाणित करें । इन्कार किये जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें ।

2 तहसील स्तर पर उपलब्ध कम्प्यूटर पर डेटा अपडेट नहीं रहता है । इसका कारण, पटवारियों द्वारा म्यूटेशन को कम्प्यूटर में यथा समय फीड़ नहीं कराया जाना है अथवा रिर्सोस परसन द्वारा इसे कम्प्यूटर में यथा समय फीड़ नहीं किया जाना है । म्यूटेशन फीडिंग की प्रगति प्रतिमाह मुख्यमंत्री सचिवालय को प्रेषित की जाती है । जिलों से प्राप्त रिपोर्ट से विदित है कि दिनांक 30.09.2006 को राज्य में 76,932 स्वीकृत म्यूटेशन कम्प्यूटर में फीड़ होने से शेष है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है ।

अतः पटवारियों से यह सुनिश्चित कराया जावें कि उनके हल्के के सभी स्वीकृतशुदा नामान्तरकरणों का इन्द्राज तहसील के कम्प्यूटर में फीड करा दिया है जिससे तहसील का डेटा इन्टरनेट पर अपडेट हो सके । इसके प्रभावी नियन्त्रण हेतु तहसील स्तर पर पटवारियों की पाक्षिक/ मासिक बैठक में तहसीलदार द्वारा निम्न प्रारूप में उनके सूचना ली जावें :–

नाम जिला .... नाम तहसील .... नाम पटवार हल्का ....

गत/पाक्षिक/माह में पेण्डिंग म्यूटेशन की संख्या जिसे कम्प्यूटर में फीड कराया जाना था।	*इस पाक्षिक/ माह के म्यूटेशन की संख्या जिसे कम्प्यूटर में फीड कराया जाना है ।*	*योग (1+2)*	*इस पाक्षिक/ माह में कम्प्यूटर में फीड़ कराये गये म्यूटेशन की संख्या*	*कम्प्यूटर में फीड़ होने से शेष रहे म्यूटेशन की संख्या मय कारण के*
1	*2*	*3*	*4*	*5*

निरन्तर 2

C:/C.M.REPORT/LRC,SS6

उक्त सूचना तहसीलदार द्वारा जिला कलेक्टरों को प्रतिमाह प्रेषित की जावे व यह प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जावे कि गत पाक्षिक/ मासिक माह के निर्णितशुदा नामान्तरकरणों को कम्प्यूटर में फीड कराये जाने से शेष नही है ।

3 ऑन लाईन जमाबन्दी बनाये जाने की प्रकिया को मण्डल के पत्र कमांकः राम/भू.अ./ एल.आर.सी./प–101/06/ 14143–73 दिनांक 08.09.2006 के द्वारा बन्द किया जा चुका है जबकि कि कुछ जिलों से अभी भी साप्ताहिक प्रगति की सूचना प्राप्त हो रही है। अतः लेख है कि ऑन लाईन जमाबन्दी की प्रगति की सूचना अब मण्डल को भेजने की आवश्यकता नहीं है ।

4 एल.आर.सी. योजना की मासिक प्रगति की सूचना पूर्व की भॉति निर्धारित प्रारूप 'ए' से 'जी' तक में भेजी जाती रहेगी । यह सूचना प्रतिमाह 10 तारीख से पूर्व वैबसाईट lrcmms.raj.nic.in पर अपडेट कर दी जावे ताकि इसे संकलित कर राज्य सरकार को यथा समय उपलब्ध कराया जा सके ।

कृपया इस संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत करावें ।

भवदीय,

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

कमांकः सम/ 15284–285 दिनांक 3/11/06

प्रतिलिपि :–

1 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं एस.आई.ओ., एन.आई.सी., राजस्थान, जयपुर ईकाई, कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, सचिवालय, जयपुर ।
2 ए.सी.पी., राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।

उप–निबन्धक (भू.अ.),
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर